राजिंदर सिंह

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य

(सिविल अपील संख्या 5269 वर्ष 2003)

जुलाई 11, 2008

[सीके ठक्कर और लोकेश्वर सिंह पंत- न्यायाधीपतिगण]

जम्मू और कश्मीर काश्तकारी अधिनियम, 1980 राजस्व रिकॉर्ड नामांतरण प्रविष्टि-संपत्ति के मालिक की मृत्यु पर, पुत्रों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए - पुत्रियों ने काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी के समक्ष अपील नामांतरण प्रविष्टी के शून्य होने का दावा करते हुए दायर की - प्राधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तराधिकार पुत्रों को प्राप्त हुआ और बेटियों का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था - पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन में इसे यथावत रखा गया - पुत्री द्वारा नामांतरण प्रविष्टि को रद्द करने हेतु रिट याचिका को एकल न्यायाधीश ने खारिज किया - हालांकि खण्डपीठ ने रिट अपील स्वीकार की - अभिनिर्धारितः सही नहीं - न तो काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी और न ही उच्च न्यायालय स्वामित्व या उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार कर सकता था - क्योंकि शिकायत केवल राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि तक सीमित थी, इसलिए संबंधित प्राधिकरण और उच्च न्यायालय का संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों प्रश्न पर विचार करना सही नहीं था - राजस्व रिकॉर्ड - में प्रविष्टियां की प्रासंगिकता।

वर्ष 1947 में एक विस्थापित व्यक्ति थे जो भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में बस गए थे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वर्ष 1954 में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के उद्देश्य से कृषि भूमि आवंटित करने का एक नीतिगत निर्णय लिया था

और उसी अनुसार 1965 का आदेश संख्या 254 पारित किया। आदेश संख्या 254 के द्‌वारा, सरकार ने उन विस्थापित व्यक्तिओं के पक्ष में मालिकाना हक प्रदान किया जो 1954 के कैबिनेट आदेश 578(सी) या किसी अन्य आदेश ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन के संबंध में के अनुसरण ऐसी भूमि पर बसे थे। कैबिनेट आदेश संख्या 578(सी) के पैराग्राफ 15 बी (2) ने आवंटी के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अधिकार प्रदान किया। 'म' भूमि काश्त कर रहा था अैार वाद सम्पित्त का पंजीकृत स्वामी था। उसका नाम 1966-67 के जमाबंदी में दर्ज किया गया था। 1981 में उसकी मृत्यु हो गयी। तहसीलदार ने उसके पुत्रों के नाम प्रतिस्थापित किए और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण लागु किया।

राजस्व रिकॉर्ड में की गई उक्त प्रविष्टि से व्थथित होकर 'म' की बेटियों ने संभागीय आयुक्त के पास अपील दायर कर दावा किया कि मृतक के पुत्रों के पक्ष में नामांतरण प्रविष्टि अवैध थी और वे भी मृत पिता की संपत्ति में हिस्से की हकदार थी। संभागीय आयुक्त ने अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उत्तराधिकार दो पुत्रों को प्राप्त हुआ और पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं था। इस आदेश को पुनरीक्षण याचिका और पुर्विलोकन याचिका में भी यथावत रखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 2, 'म' की एक बेटी ने मृतक के पुत्रों के पक्ष में की गई नामांतरण प्रविष्टि को शून्य घोषित कर रद्‌द करने के लिए रिट याचिका दायर की। यह रिट याचिका खारिज कर दी गई। उच्च न्यायालचय की खण्डपीठ ने सभी आदेशों को अपास्त कर अपील को स्वीकार किया। उक्त आदेश को मृतक के पुत्र अपीलकर्ता के द्‌वारा इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्‌वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :

1. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के समक्ष विवाद को देखते हुए उच्च न्यायालय का इस प्रश्न पर विचार करना उचित नहीं था। उपरोक्त तथ्यों से यह

स्पष्ट है कि 'म' को विस्थापित व्यक्ति के रूप में भूमि आवंटित की गई थी तथा जमाबंदी 1966-67 में उसका नाम दर्ज किया गया था। 19 अक्टूबर, 1966 को प्रविष्टि संख्या 291 द्वारा उसके पक्ष में नामांतरण किया गया था। 1981 में 'म' की मृत्यु के बाद, कठुआ के तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 428 के माध्यम से मृतक 'म' के पुत्रों के नाम दर्ज किए। उक्त कार्यवाही को प्रत्यर्थी संख्या-2 'म' की बेटियों में से एक और उसकी बहन के द्वारा चुनौती दी गयी थी। उनका मामला यह था कि बेटियां होने के नाते वे भी संपत्ति की हकदार हैं। प्राधिकारियों के द्वारा अनावश्यक रूप से पक्षकारों के सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के प्रश्न पर विचार किया गया।

2. यह सुस्थापित है कि राजस्व रिकॉर्ड पक्षकार को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करते हैं। ऐसी प्रविष्टियाँ केवल "वित्तीय उद्देश्य" के लिए प्रासंगिक हैं और प्रतिस्पर्धी दावेदारों के स्वामित्व के मूल अधिकारों का निर्णय केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही में किया जा सकता है।

सूरजभान व अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त एवं अन्य (2007) 6 एससीसी 186-पर निर्भरता रखी गई।

3. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, पुत्री की व्यथा नामांतरण प्रविष्टि से संबंधित थी। यदि जम्मू और कश्मीर काश्तकारी अधिनियम, 1980 के तहत प्राधिकृतियों को लगा कि कार्यवाही विधि सम्मत है, तो वह प्रविष्टि को बरकरार रख सकते थे। जांच, हालांकि, राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि तक ही सीमित थी और कुछ नहीं था। इसका कोई भी संपत्ति के स्वामित्व या उत्तराधिकार के अधिकारों के साथ कोई संबंध नहीं था। इसलिए, न काश्तकारी अधिनियम के प्राधिकारियों ना ही उच्च न्यायालय के द्वारा वर्तमान प्रक्रिया में स्वामित्व या उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार

किया जा सकता था और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण प्रविष्टि के संबंध में विवाद तक ही निर्णय करना चाहिए था।

4. स्वामित्व या उत्तराधिकार के मूल अधिकारों के संबंध में सभी पक्षों को एक सक्षम सिविल न्यायालय में विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत और जम्मू-कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों के अधिकारों के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और प्रश्नों पर विचार किया गया है, वे सभी टिप्पणियाँ जो राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष सीमित प्रश्न के मद्देनजर प्रासंगिक नहीं थीं, उनका सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही यदि ऐसी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में शुरू की गई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2003 की सिविल अपील सं. 5269

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एलपीए एवं (डब्ल्यू) संख्या 621 वर्ष 1999 में निर्णय व आदेश दिनांक 29-07-2002 के विरूद्घ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अशोक माथुर

प्रत्यर्थी की ओर से एस. मेहदी इमाम, अनीश सुहरावर्दी, दिनेश कुमार गर्ग व आर.सी. कौशिक

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया

सी.के. ठक्कर, न्यायाधिपति

1. यह अपील जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा 29 जुलाई 2002 को लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 621/1999 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। उक्त आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा

प्रत्यर्थी संख्या 2 दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 1993 की रिट याचिका संख्या 457 में दिनांक 12 नवम्बर, 1998 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि माखन सिंह वर्ष-1947 में एक विस्थापित व्यक्ति थे जो भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में बस गए थे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने वर्ष-1954 में उन विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के उद्देश्य से कृषि भूमि आवंटित करने का एक नीतिगत निर्णय लिया था, जिन्हें वर्ष-1974 में विभाजन के बाद सीमा के दूसरी ओर (अब पाकिस्तान) छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था और जो उस क्षेत्र में जमीन धारण कर रहे थे।

3. सरकार ने, उक्त नीति के अनुसरण में, 1965 के सरकारी आदेश संख्या-254 के तहत माखन सिंह को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश इस प्रकार है :

> "सरकार इसके द्वारा राज्य के गैर मुक्त क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों जो कि ऐसी भूमि पर और आंशिक रूप से निष्क्रांत भूमि पर 1954 के केबिनेट आदेश संख्या 578-सी या उक्त आदेश से पहले ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में जारी किसी अन्य आदेश के अनुसरण में बसे हुए है, के पक्ष में राज्य की भूमि पर मालिकाना अधिकार इस शर्त के अधीन प्रदान करती है कि आवंटी आवंटन की तारीख से लगातार भूमि धारण किए हुए है और इस तरह दर्ज किए गए है। अनुदान प्राप्तकर्ता उस भूमि की मिट्टी की श्रेणी के या काश्त से उस भूमि की मिट्टी ने जिस श्रेणी को ग्रहण कर लिया है उसके अनुसार ग्राम दर पर निर्धारित भू-राजस्व या यदि कोई ग्राम दर

उपलब्ध नहीं है तो उसी निर्धारण वृत्त में स्थित समान भूमि के मूल्याकंन तथा तत्समय लागू किसी विधि के अधिन उपकर व अन्य शेष बकाया के भुगतान के आधार पर कलक्टर द्वारा निर्धारित भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।"

4. कैबिनेट आदेश संख्या 578-सी, 1954 के पैराग्राफ 15-बी (2) ने आवंटी के साथ-साथ परिवार के सदस्यों को भी अधिकार प्रदान किया। यह इस प्रकार है:

"15-बी (2) यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो आवंटित भूमि में उसका हित उसके उन परिवार के अन्य सदस्यों को हस्तांतरित हो जाएगा जिनके पक्ष में भूमि का आवंटन मूल रूप से इन नियमों के तहत किया गया है या नियमित किया गया है और जो ऐसे आवंटन के बाद विवाह, जन्म या गोद लेने के माध्यम से परिवार के सदस्य बन गए हैं उन लोगों को छोड़कर जिनकी पहले मृत्यु हो गई हो या जो विवाह या गोद लेने के कारण परिवार छोड़ चुके हों।"

5. ऐसा प्रतीत होता है कि माखन सिंह भूमि पर खेती कर रहे थे और सम्पत्ति के पंजीकृत मालिक थे। उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया गया। उनका नाम 1966-67 की जमाबंदी में दर्ज था, यह गांव तरियारा, तहसील कठुआ का नामांतरण संख्या 291 था। माखन सिंह को मूल आवंटी के रूप में दर्शाया गया था।

6. वर्ष 1981 में माखन सिंह अपने पीछे अपने बेटे और बेटियों को छोड़कर चल बसे। 13 मार्च, 1985 के एक आदेश द्वारा, तहसीलदार, कठुआ ने माखन सिंह के दो बेटों राजिन्दर सिंह (यहां अपीलकर्ता) और दलजीत सिंह के नाम प्रतिस्थापित कर दिए और राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण संख्या 428 लागू कर दिया।

7. राजस्व रिकॉर्ड में उक्त प्रविष्टि से व्यथित होकर, कुलदीप कौर और बलबीर कौर (मृतक माखन सिंह की बेटियां) ने संभागीय आयुक्त, जम्मू के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए अपील की कि राजिंदर सिंह और दलजीत सिंह (पुत्रों) के पक्ष में किया गया नामांतरण अवैध था और अपीलकर्ता जो मृतक माखन सिंह की बेटियां थीं, वे भी अपने मृत पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार थी। हालाँकि, संभागीय आयुक्त ने 29 जनवरी, 1990 के एक आदेश द्वारा अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तराधिकार दो बेटों राजिंदर सिंह और दलजीत सिंह को मिला और बेटियों को कोई हिस्सा नहीं मिला।

8. बलबीर कौर ने सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की लेकिन पुनरीक्षण याचिका को भी पुनरीक्षण प्राधिकारी ने 12 मार्च, 1991 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ पुनर्विलोकन याचिका का भी वही हश्र हुआ।

9. इसलिए, बलबीर कौर ने वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द व अपास्त करने के लिए 1993 की रिट याचिका संख्या 457 दायर की। रिट याचिका को स्वीकार करने और नामांतरण प्रविष्टि को शून्य घोषित करके मृतक माखन सिंह के पुत्रों के पक्ष में किए गए नामांतरण को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

10. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को लेटर्स पेटेंट अपील दायर करके चुनौती दी गई थी और जैसा कि ऊपर देखा गया, खण्डपीठ ने सभी आदेशों को रद्द करते हुए अपील स्वीकार की गयी थी। उक्त आदेश को मृतक माखन सिंह के बेटे अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में चुनौती दी है।

11. इस न्यायालय द्वारा 13 दिसंबर 2002 को नोटिस जारी किया गया था और उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक भी दी गई थी। 25 जुलाई 2005 को अपील की अनुमति दी गई और अंतरिम राहत जारी रखने का आदेश दिया गया।

12. 11 अप्रैल, 2008 को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अंतिम सुनवाई के लिए रखे जाने का आदेश दिया गया था और इस तरह मामला हमारे सामने रखा गया है।

13. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लेटर्स पेटेंट अपील को स्वीकार करने और प्राधिकारियों और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने में पूरी तरह से गलत थी। यह आग्रह किया गया था कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के द्वारा कानून के प्रासंगिक प्रावधानों यानी जम्मू और कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर काश्तकारी अधिनियम, 1980 की अनदेखी करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को लागू करना गलत था। यह भी तर्क दिया गया कि खण्डपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कृषि सुधार अधिनियम की धारा 3.ए. जम्मू और कश्मीर काश्तकारी अधिनियम की धारा 67 और कैबिनेट आदेश संख्या 578 सी/1954 के नियम 15-बी (2) के अनुरूप नहीं था।

14. यह आग्रह किया गया कि यहां माखन सिंह की बेटी, जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। इसलिए, उसे माखन सिंह के परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता और वह जम्मू-कश्मीर अधिनियम के तहत संपत्ति पाने की हकदार नहीं थी। अधिवक्ता के अनुसार, काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश वैध, मान्य और विधि के अनुसार थे

और जिनमें लेटर्स पेटेंट अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि प्राधिकारियों द्वारा पारित और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए आदेशों को बहाल करके विवादित आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया और आग्रह किया कि लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार करना और आदेश पारित करना सही था। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

16. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के समक्ष विवाद को देखते हुए उच्च न्यायालय का इस पर विचार करना उचित नहीं था। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि माखन सिंह को विस्थापित व्यक्ति के रूप में भूमि आवंटित की गई थी तथा जमाबंदी 1966-67 में उनका नाम दर्ज किया गया था। 19 अक्टूबर, 1966 को प्रविष्टि संख्या 291 द्वारा उनके पक्ष में नामांतरण किया गया था। 1981 में माखन सिंह की मृत्यु के बाद, कठुआ के तहसीलदार ने नामांतरण संख्या 428 के माध्यम से मृतक माखन सिंह के पुत्रों के नाम दर्ज किए। उक्त कार्रवाई को प्रत्यर्थी संख्या-2 यहां (माखन सिंह की बेटियों में से एक) और उसकी बहन कुलदीप कौर द्वारा चुनौती दी गयी थी। उनका मामला यह था कि बेटियां होने के नाते वे भी संपत्ति की हकदार हैं। हमारे विचार से प्राधिकारियों के द्वारा सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित अधिकारों के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं था।

17. यह सुस्थापित है कि राजस्व रिकॉर्ड पक्षकार को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करते हैं। यह हाल ही में इस न्यायालय द्वारा सूरजभान और अन्य बनाम वित्तीय

आयुक्त और अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी प्रविष्टियाँ केवल "वित्तीय उद्देश्य" के लिए प्रासंगिक हैं और प्रतिस्पर्धी दावेदारों के स्वामित्व के मूल अधिकारों का निर्णय केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही में किया जा सकता है।

18. अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 पुत्री की व्यथा नामांतरण प्रविष्टि से संबंधित है। यदि काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारियों को लगता है कि कार्यवाही विधि के अनुरूप थी, तो वे प्रविष्टि को बरकरार रख सकते थे। हालाँकि, जाँच राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि तक ही सीमित थी और इससे अधिक कुछ नहीं। इसका संपत्ति के स्वामित्व या उत्तराधिकार के अधिकार से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए, हमारी राय में, न तो काश्तकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारी और न ही उच्च न्यायालय वर्तमान कार्यवाही में स्वामित्व या उत्तराधिकार के प्रश्न पर विचार कर सकते थे और उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण प्रविष्टि तक सीमित विवाद का फैसला करना चाहिए था।

19. इसलिए, जहां तक स्वामित्व या उत्तराधिकार के मूल अधिकारों का संबंध है। वर्तमान अपील सभी पक्षों को एक सक्षम सिविल न्यायालय में विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्र कर निपटाए जाने योग्य है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत और जम्मू-कश्मीर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटे और बेटियों के अधिकारों के संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और प्रश्नों पर विचार किया गया है, हम स्पष्ट करते हैं वे सभी टिप्पणियाँ जो राजस्व अधिकारियों के समक्ष सीमित प्रश्न के मद्देनजर प्रासंगिक नहीं थीं, उनका सिविल न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि ऐसी कार्यवाही सक्षम न्यायालय में शुरू की गई हो।

20. इसलिए, हम पक्षकारों को सक्षम सिविल न्यायालय में उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता देकर इस अपील का निपटारा यह स्पष्ट करते हुए करते है कि राजस्व अधिकारियों और उच्च न्यायालय के आदेशों में की गई टिप्पणियाँ जब भी स्वामित्व के मूल अधिकारों के निर्धारण के उद्देश्य से कार्यवाही शुरू की गई तो मुकदमे में पक्षकारों के रास्ते में नहीं आएंगी।

21. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार करने योग्य है और तदनुसार खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश को अपास्त करके और पक्षकारों को उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता देकर स्वीकार की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

डी.जी.

अपील स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मांडवी राजवी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।